

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 05 / 2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम नृसिंह मैसर्स जोधपुर मिष्ठान्न भण्डार

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 05 / 2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2026 / 16

सायल :-

गैर सायल :-

जरिये सरकार दिलीपसिंह
यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी पाली

नृसिंह पुत्र कानसिंह राजपुरोहित मैसर्स:-
जोधपुर मिष्ठान्न भण्डार, स्टेशन रोड़
चौराया, फालना पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए. एक्ट, 2006 नियम 2011

• उपस्थिति: अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चौहान।

-:निर्णय:-

दिनांक: 24.04.2026

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(v) खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 29.01.2026 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान्/वकुलाय को सूचित किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार दिनांक 06.08.2025 को सायल दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स जोधपुर मिष्ठान्न भण्डार, स्टेशन रोड़ चौराया फालना पहुंचे। सायल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नृसिंह पुत्र श्री कानसिंह राजपुरोहित व गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स जोधपुर मिष्ठान्न भण्डार का निरीक्षण करने पर पाया की दुकान में मिल्क केक (दुध चीनी से बना) रखा है। मिल्क केक (दुध चीनी से बना) जिसकी गुणवता जांच के लिये नमूना लिया गया, जिसमें मिलावट का शक हुआ इसलिए प्रपत्र 5ए भरकर दिया एवं प्रपत्र 5ए की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर हैं। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया था कि उक्त नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु ले रहा हूं प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

यह कि दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में रखे हुए मिल्क केक (दुध चीनी से बना) में से 2 कि.ग्रा. विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गए को वास्ते जांच हेतु क्रय कर जिसकी कीमत विक्रेता को 700 रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे व विक्रेता व उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर है।

यह कि दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड क्रमांक आर-2628 लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया एवं प्रत्येक लेबल पर मालिक विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं भी किये। मालिक विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गये मिल्क केक (दुध चीनी से बना) को हिलामिला कर एकरूप करके चार साफ व सुखी बोतल में अलग-अलग बराबर-बराबर मात्रा में लेकर प्रत्येक नमूना बोतल में 40-40 बूंद फोरमेलिन डालकर ढक्कन एयर टाईट बन्द किया। उक्त तैयार लेबल में से एक-एक लेबल प्रत्येक नमूना बोतल पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना बोतल को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना बोतल पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली की हस्ताक्षरयुक्त पेपरस्लीप कोड क्रमांक आर-2628 गोंद से नियमानुसार चारों नमूना बोतल के मुंह से पैदे की ओर चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना बोतल को नियमानुसार धागे से बांध कर चपडी से सीलबंद सीलमूहर किया एक सील नमूना बोतल के मुंह पर एक एक सील पैदे पर दो नमूना बोतल की बाँडी पर जहां पर धागे की गांठ लगाई पर चपडी लगाकर सीलबंद व सीलमुहर किया। मालिक विक्रेता व गवाहान ने नियमानुसार पेपरस्लीप व खाकी कागज को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारों सीलबन्द नमूना को अपने जाब्तों में लिया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली जिला पाली

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 05 / 2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम नृसिंह मैसर्स जोधपुर मिष्ठान्न भण्डार

यह है कि दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। उपरोक्त सभी कार्यवाही मैंने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। मौका फर्द रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। मौका फर्द पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर की थी।

यह है कि दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फॉर्म न. 06 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील मोहर लगाई जिससे नमूना सील मोहर की थी। एक नमूना मय फार्म न. 06 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, दो फॉर्म न. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फॉर्म न. 06 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द कर, सील मोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर को जमाकर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

यह है कि दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्रांक/एफएसएसए/2025/7788 दिनांक 18.09.2025 एवं जांच रिपोर्ट LS./1344/एक्ट/2025/1344 दिनांक 21.08.2025 के द्वारा मालुम हुआ कि मेरे द्वारा लिया गया मिल्क केक (दुध चीनी से बना) नमूना क्रमांक आर-2628 का नमूना अवमानक **Sub Standard** पाया गया है। अग्रेषण पत्र मय जांच रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है, जिसकी सूचना विक्रेता को भी दे दी गई है। यह कि नमूने की पुनः जांच हेतु अपील नहीं की गई है, जिस पर नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला नहीं भिजवाया गया है।

अतः नृसिंह पुत्र श्री कानसिंह राजपुरोहित मैसर्स जोधपुर मिष्ठान्न भण्डार, स्टेशन रोड़ चौराया, फालना पाली ने मिल्क केक (दूध चीनी से बना) अवमानक (**Sub-Standard**) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चौहान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

अधिवक्तागण अप्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि अभियुक्त एक प्रतिष्ठित व्यापारी है तथा उसके प्रतिष्ठान पर विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री सदैव उत्तम गुणवत्ता की रखी जाती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेते समय नियमानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकताओं का पूर्णतः पालन नहीं किया गया। नमूना लेने की प्रक्रिया में स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति, नमूने का समुचित मिश्रण एवं सीलबंदी प्रक्रिया में त्रुटियाँ रही हैं। यह भी तर्क दिया गया कि कथित खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक अथवा असुरक्षित नहीं पाया गया है, मात्र अवमानक (**Sub-Standard**) श्रेणी में पाया जाना गुणवत्ता संबंधी विचलन है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध कठोर दण्ड अधिरोपित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। अभियुक्त प्रथम अपराधी है, उसके विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, तथा उसने जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् भविष्य में अधिक सावधानी रखने का आश्वासन दिया है। इस आधार पर अभियुक्त को न्यूनतम दण्ड अथवा चेतावनी देकर छोड़े जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन, नमूना लेने की कार्यवाही, विश्लेषक रिपोर्ट, अभियोजन स्वीकृति एवं सलंग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि दिनांक 06.08.2025 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से विक्रय हेतु रखे मिल्क केक नमूना आर-2628 को नियमानुसार क्रय कर चार भागों में विभक्त कर सीलबंद किया गया तथा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर भेजा गया। जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर की रिपोर्ट क्रमांक /L.S./1344/Act/2025/1344 दिनांक 21.08.2025 के अनुसार उक्त नमूना **Sub Standard** (अवमानक) पाया गया। उक्त सूचना अप्रार्थी को दी गई, किन्तु अप्रार्थी द्वारा पुनः जांच हेतु कोई अपील/आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 05 / 2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम नृसिंह मैसर्स जोधपुर मिष्ठान्न भण्डार

धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन करते हुए Sub Standard (अवमानक) खाद्य पदार्थ का विक्रय किया गया है जो अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर अधिनियम की धारा 51 सपठित धारा 49 में विहित प्रावधानान्तर्गत 'अवमानक' श्रेणी की खाद्य सामग्री नमूना क्रमांक आर-2628 जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) में यथापरिभाषित है,के विक्रय एवं भण्डारण के कारण कुल 5000/- रुपये मात्र अक्षरे पांच हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" में जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। फावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



(शैलेन्द्र सिंह)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
बाली, जिला-पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

दिनांक :

क्रमांक / कोर्ट / खा.सु.प्र.स.05 / 2026 / 2026 /

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली,

(शैलेन्द्र सिंह)

R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली